[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 12th October, 1999

No. S.O.212/C.A.59/88/Ss.28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213/99.--In exercise of the powers conferred by sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and with reference to Haryana Government, Transport Department, notification No. S.O.189/C.A.59/88/Ss.28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213/99, dated the 16th August, 1999, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely :--

RULES

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 1999.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 131, in sub rule (2), in clause (i) in the first line for the words "light blue or sky blue" the word "yellow" shall be substituted.

3. In the said rules, after rule 114, the following rules shall be inserted namely :--

"114 A. The owner of bus and the head of the management of educational institution to comply with directions, section 96 (2) (xxxiii).--The owner of bus and the head of the management of the educational institution while carrying school children shall comply with the following directions namely :--

(i) The school buses shall be properly maintained, should be roadworthy, should posses the certificate of fitness and insurance certificate, not emanate smoke beyond permissible limit. It should be

manned by trained, experienced and well versed driver provided with attendant or conductor.

(ii) Every vehicle, bus, van or such other means of transport, carrying school children shall hold a proper permit/ permission.

(iii) The Bus driver engaged should have at least 5 years driving experience.

(iv) The bus driver should not have been challaned more than three times for traffic violation like jumping red light, improper parking, violating stop line, unauthorised lane changing, overtaking etc. and ought not to have been challaned for an offence under section 279, 336, 337, 338, 304 A of the Indian Penal Code, 1860 during the period of requisite experience of 5 years.

(v) All school buses shall have a conductor or an attendant. The attendant should be adequately trained to handle the young children.

(vi) The school buses/vehicles shall not be permitted to exceed the speed of maximum 50 Kilo Meter Per Hour in any part of the city.

(vii) All schools having parking area inside the boundary walls shall ensure that the children are dropped inside the boundary wall of the school by buses.

(viii) All educational vehicles shall carry First-Aid-Box and Fire Extinguisher as required under the rules.

(ix) The buses shall carry a board showing the name of the school, route and timings which shall be displayed conspicuously on the front of the bus.

(x) The conductors and drivers of all the school buses shall be subject to a refresher course at least once in two

years to be arranged by the Transport Department. It shall be obligation of the registered owner of the bus and school to ensure that the drivers and conductors undergo for the required refresher courses within the stipulated period.

(xi) The drivers of all the vehicles shall be subjected to medical fitness by the Civil Surgeon of the District which may be arranged for the purpose once in a five years.

(xii) All drivers and conductors of the educational vehicles shall wear proper uniform and name plate showing the name and licence number of the driver and the conductor. No educational vehicle shall carry children in excess of 1.5 times of its registered seating capacity.

(xiii) The educational institution shall control and man the traffic through own man power in and around the school premises.

(xiv) In case of any violation, the vehicle shall be challaned/seized under section 207 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the authorised Enforcement Officer of the Transport Department.

114 B. Every motor vehicle to comply with directions section 96(2) (iii).--Every motor vehicle whether private or plying on commercial purposes shall comply with the following directions, namely :--

(i) No vehicle (heavy or light) shall be driven by a person without a valid driving licence or person not having attained the required age, failing which, such vehicle shall be seized under section 207 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(ii) All escort/pilot cars of Very Important Persons shall adhere to traffic laws and shall not jump traffic lights etc. in violation of such rules, the driver and the officer Incharge of such vehicle shall also be liable for departmental action.

(iii) No vehicle shall be permitted to have musical horn.

(iv) No vehicle shall be permitted to play the music at a higher pitch than it may be necessary to h[illegible] the music by the occupant of the [illegible]d shall not exceed the prescribed sta[illegible]

(v) No vehicle shall be permitted to ply on the road which does not have the functional silencer to prevent unnecessary noise.

(vi) All the buses, trucks and other heavy and light vehicles, whether owned by individuals, private sectors, public sectors or Government Corporations, shall carry First Aid Box and Fire Extinguisher as required under the rules.

(vii) All vehicles, buses, trucks and cars shall not be fitted with power, pressure or musical horns. Such vehicles with any such horns shall be challaned and shall be got removed by the Enforcement Officer so authorised to challan the vehicle under his supervision.

(viii) No vehicle light or heavy, shall use black films. However, the Director General of Police or an Officer duly authorised by him in this behalf (not below the rank of Additional Director General of Police) may issue a certificate under his seal and signatures that the car of the concerned person/Very Important Person is permitted to have such film to avoid serious security hazards to the said person.

(ix) All the conductors and drivers of all the buses shall wear prescribed uniform which shall carry name plate with licence number of the driver and conductor.

(x) All the vehicles, heavy and light shall be maintained in road worthy condition and should meet with the required

pollution standard prescribed in the rules and regulations. Any vehicle not being road-worthy or violating the said rules and regulations, shall be liable to be taken off the road in accordance with law.

(xi) The drivers of all the vehicles shall be subject to medical fitness by the Civil Surgeon of the District which may be arranged for the purpose once in five years.

(xii) The drivers and conductors of all the public service vehicles plying as transport vehicles shall be subject to a refresher course arranged by the Transport Department atleast once in two years."

4. In the said rules, after rule 162, the following rule shall be inserted, namely :--

"162. A. Air pollution by motor vehicles, section 110(1)(m).--

(1) (a) Every motor vehicle shall have to carry a valid "Pollution Under Control Certificate" issued by the Transport Department, or, by any pollution checking centre, duly authorised by the Transport Commissioner.

(b) Notwithstanding the provisions contained in clause(a) above, any Enforcement Officer of the Transport Department may test the pollution level of the exhaust of any vehicle. If the pollution level of the exhaust of the vehicle is found beyond the prescribed standard, he may direct the owner of the vehicle to obtain a fresh "Pollution Under Control Certificate" and cancel the existing Pollution Certificate.

(2) "Pollution Under Control Certificate" shall be issued for a period of 6 months from the date of issue. A sum of Rs. 15 in respect of petrol driven vehicles and a sum

of Rs. 25 in respect of diesel driven vehicles for the issue of Pollution Under Control Certificate shall be charged. An additional sum of Rs. 5 may be charged for minor adjustment.

(3) (a) No service station workshop shall act as a Pollution Checking Centre unless it holds valid authorisation granted by the Transport Commissioner.

(b) An application for authorisation of Pollution Checking Centre shall be made to the Transport Commissioner alongwith a fee of Rs. 2,500 per year in the shape of bank draft in the name of Transport Commissioner, Haryana.

(c) Pollution Checking Centre authorised by Transport Department shall charge such fees for pollution checking and for minor adjustment, if any, for different categories of vehicles as shall be prescribed by the Transport Department from time to time.

(d) (i) Any Enforcement Officer of the Transport Department may check working of any pollution checking centre falling in his jurisdiction.

(ii) If at any stage it is found that any pollution checking centre is violating the terms and conditions as prescribed by the Transport Department or indulging in any unlawful activity, the Enforcement Officer may pass order to stop the pollution checking activity of pollution checking centre and shall report the case to the Transport Commissioner.

(iii) The Transport Commissioner may at its discretion suspend/cancel the authorisation or impose penalty on the concerned pollution checking

centre after hearing the accused or after making such enquiry as it deems just and proper.

(e) The application for renewal of pollution licence shall be submitted atleast 15 days in advance of the expiry of licence, failing which late fee at the rate of Rs. 100 per week shall be charged. The fee for the renewal of the said licence shall be Rs. 2,500.".

VIRENDRA NATH,

Financial Commissioner and Secretary
to Government, Haryana,
Transport Department.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अक्तूबर, 1999

संख्या का.आ.212/ के.अ.59/88/धा.28, 38,65, 93, 95, 96, 107, 111 और 213/99.--मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 और 213 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ. 189/के.अ.59/88/धा. 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 और 213/99, दिनांक 16 अगस्त, 1999, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1999, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिन्हें इसमें, इसके बाद उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 131 में, उप नियम 2 में, खण्ड (i) में, प्रथम पंक्ति में, "हल्के नीले अथवा आसमानी," शब्दों के स्थान पर, "पीला" शब्द रखा जायेगा ।

3. उक्त नियमों में, नियम 114 के बाद, निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात् :--

114क.-बस के स्वामी तथा शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्ध मण्डल के मुखिया द्वारा अनुदेशों का अनुपालन धारा 96(2) (xxxiii).--बस का स्वामी तथा शैक्षणिक संस्था के प्रबन्ध मण्डल का मुखिया स्कूल के बच्चों को ले जाते समय निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :--

(i) स्कूल बसों का उचित रूप से रख-रखाव किया जायेगा, सड़क पर चलने योग्य होनी चाहिये, फिटनैस प्रमाण-पत्र तथा बीमा प्रमाण-पत्र रखता हो, अनुज्ञात सीमा से अधिक धुआं न छोड़ती हों, यह शिक्षित, अनुभवी तथा अति प्रवीण चालक जिसे अटैण्डेन्ट या परिचालक उपलब्ध हों, द्वारा चलायी जायें ।

(ii) स्कूल के बच्चों को ले जाने वाला प्रत्येक वाहन, बस, वैन, या ऐसा अन्य परिवहन का साधन उचित अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र धारण करेंगे ।

(iii) काम में लगाया गया बस चालक कम से कम 5 वर्ष का चालन अनुभव रखता हो ।

(iv) 5 वर्ष के अपेक्षित अनुभव की अवधि के दौरान बस चालक का ट्रैफिक उल्लंघन, जैसा कि लाल बत्ती पार करना, अनुचित पार्किंग, स्टाप लाईन का उल्लंघन, अनाधिकृत लाईन परिवर्तन, ओवर टेकिंग इत्यादि के लिये तीन बार से अधिक चालान न किया गया हो तथा उक्त अवधि में भारतीय दण्ड संहिता, 1860, की धारा 279, 336, 337, 338, 304 क. के अधीन किसी भी अपराध के लिये चालान नहीं किया गया होना चाहिए ।

(v) सभी स्कूल बसों का परिचालक या एक अटैण्डैन्ट होना चाहिए । अटैण्डैन्ट अल्पायु बच्चों को सम्भालने में समुचित रूप से प्रशिक्षित हो ।

(vi) स्कूल बसें/वाहन शहर के किसी भी भाग में 50 कि.मी. प्रति घण्टा की अधिकतम गति से अधिक के लिये अनुज्ञात नहीं होंगी/होंगे ।

(vii) चार दीवारी के भीतर पार्किंग क्षेत्र रखने वाले सभी स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों द्वारा बच्चों को स्कूल की चार दीवारी के भीतर ही उतारा जाता है ।

(viii) सभी शैक्षणिक वाहन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित प्राथमिक सहायता बॉक्स तथा अग्निशमन यन्त्र रखेंगे ।

(ix) बसों पर स्कूल का नाम, रूट तथा समय दर्शाते हुए एक बोर्ड होगा जो बस के अगले भाग सहजदृश्य पर लगाया जाएगा ।

(x) सभी स्कूल बसों के परिचालक तथा चालक कम से कम दो वर्ष में एक बार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित एक रिफरेशर कोर्स के अधीन रहते हुए होंगे । बस के पंजीकृत स्वामी तथा स्कूलों

का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि चालक तथा परिचालक ने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित रिफरेशर कोर्सों में प्रशिक्षण लें ।

(xi) सभी वाहनों के चालक जिला के सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सा फिटनैंस के अध्याधीन होंगे जिसकी पांच वर्ष में एक बार इस प्रयोजन के लिये व्यवस्था की जाए ।

(xii) शैक्षणिक वाहनों के सभी चालक तथा परिचालक एक उचित वर्दी तथा चालक तथा परिचालक का नाम तथा अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए एक नाम पट्टिका पहनेंगे । कोई भी शैक्षणिक वाहन अपनी पंजीकृत सीटिंग क्षमता के 1.5 गुणा से अधिक बच्चों को नहीं ले जायेगा ।

(xiii) शैक्षणिक संस्था स्कूल परिसर के भीतर तथा आसपास अपनी मानव-शक्ति से यातायात नियंत्रित तथा संचालित करेगी ।

(xiv) किसी भी उल्लंघन की दशा में, परिवहन विभाग के प्राधिकृत प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988, की धारा 207 के अधीन वाहन का चालान/जब्त किया जायेगा ।

"114ख. प्रत्येक मोटर वाहन द्वारा निदेशों की अनुपालना । धारा 96 (2) (iii).--प्रत्येक मोटर वाहन चाहे वह निजी हो अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों से चलाया जा रहा हो निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :--

(i) कोई भी वाहन (हल्का अथवा भारी) किसी भी व्यक्ति द्वारा विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा किसी व्यक्ति जिसने अपेक्षित आयु प्राप्त न कर ली हो द्वारा नहीं चलाया जायेगा, जिसमें असफल रहने पर, ऐसे वाहन को, मोटरयान अधिनियम, 1988, की धारा 207 के अधीन जब्त कर लिया जायेगा ।

(ii) अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सभी एस्कार्ट/पायलट कारें यातायात नियमों का पालन करेंगी तथा ट्रैफिक लाइट इत्यादि का जम्प नहीं करेंगी । ऐसे नियमों का उल्लंघन करने में, ऐसे वाहन का चालक तथा प्रभारी अधिकारी विभागीय कार्रवाई के लिये भी दायी होगा"।

(iii) कोई भी वाहन संगीतय हार्न लगाने के लिये अनुज्ञात नहीं होगा ।

(iv) कोई भी वाहन कार के अधिभोगी को सुनाई देने के लिये आवश्यक तथा विहित मानकों से अधिक उच्च ध्वनि में संगीत चलाने के लिये अनुज्ञात नहीं होगा ।

(v) कोई भी वाहन सड़क पर चलने के लिये अनुज्ञात नहीं होगा जो अनावश्यक शोर को रोकने के लिये क्रियाशील साईलैंसर न रखता हो ।

(vi) सभी बसें, ट्रक तथा अन्य भारी तथा हल्के वाहन, चाहे वह निजी रूप से, प्राईवेट सैक्टर, सार्वजनिक सैक्टर अथवा सरकारी निगमों द्वारा स्वामीत्वाधीन हो, नियमों के अधीन यथा अपेक्षित प्राथमिक सहायता बाक्स तथा अग्निशमन यन्त्र रखेंगे ।

(vii) सभी वाहनों, बसों, ट्रकों तथा कारों में शक्ति प्रैशर या संगीतमय हार्न नहीं लगाए जाएंगे । ऐसे किन्हीं हार्न वाले ऐसे वाहनों का चालान किया जायेगा तथा वाहन का चालान करने के लिये प्राधिकृत प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उसके अधीक्षण के अधीन हटा दिए जायेंगे ।

(viii) कोई भी वाहन हल्का अथवा भारी काली फिल्मों का प्रयोग नहीं करेगा । तथापि, पुलिस महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी (जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे का न हो) अपने हस्ताक्षर तथा मुहर के अधीन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है कि सम्बद्ध व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्ति की कार में उक्त व्यक्ति को गम्भीर परिसंकट से बचाने के लिये ऐसी फिल्म लगाने के लिये अनुज्ञात है ।

(ix) सभी बसों के सभी परिचालक तथा चालक विहित वर्दी पहनेंगे, जिस पर चालक तथा परिचालक की संख्या सहित नाम पट्टिका होगी ।

(x) सभी वाहन भारी तथा हल्के सड़क पर चलाने की स्थिति में रखे जायेंगे तथा नियमों तथा विनियमों में विहित अपेक्षित प्रदूषण

मानकों को पूरा करेंगे । कोई भी वाहन जो सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं है अथवा उक्त नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, विधि के अनुसार सड़क से हटाये जाने के लिये दायी होगा ।

(xi) सभी वाहनों के चालक जिला के सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सा फिटनैस के अध्याधीन होंगे जिसकी पांच वर्ष में एक बार इस प्रयोजन के लिये व्यवस्था की जाए ।

(xii) परिवहन वाहनों के रूप में चल रहे सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों के चालक तथा परिचालक परिवहन विभाग द्वारा दो वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित एक रिफरेशर कोर्स के अधीन रहते हुए होंगे " ।

4. उक्त नियमों में, नियम 162 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :--

"162क. मोटर वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण । धारा 110 (1)(ड).--

(1) (क) प्रत्येक मोटर वाहन परिवहन विभाग द्वारा या परिवहन आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा जारी एक विधिमान्य "प्रदूषण अधीन नियंत्रण प्रमाण पत्र" रखेगा ।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में दिये गये उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, परिवहन विभाग का कोई प्रवर्तन अधिकारी, किसी वाहन के निर्गम के प्रदूषण स्तर की जांच कर सकता है । यदि किसी वाहन के निर्गम का प्रदूषण स्तर विहित मानक से अधिक पाया जाता है तो वह वाहन के स्वामी को निदेश दे सकता है कि वह नया "प्रदूषण अधीन नियंत्रण प्रमाण पत्र" प्राप्त करे तथा विद्यमान प्रदूषण प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है ।

(2) "प्रदूषण अधीन नियन्त्रण प्रमाण-पत्र" जारी करने की तिथि से 6 मास की अवधि के लिये जारी किया जाएगा । पैट्रोल द्वारा चलने

वाले वाहनों के सम्बन्ध में 15 रुपये की राशि तथा डीजल द्वारा चलने वाले वाहनों के सम्बन्ध में 25 रूपये की राशि प्रदूषण अधीन नियन्त्रण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्रभार्य होगी । लघु समायोजन के लिये 5 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जायेगी ।

(3) (क) कोई भी सर्विस स्टेशन वर्कशाप, प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक उसके पास परिवहन विभाग द्वारा दिया गया वैद्य प्राधिकार न हो ।

(ख) प्रदूषण जांच केन्द्र के प्राधिकार के लिये कोई आवेदन, परिवहन आयुक्त, हरियाणा के नाम से बैंक ड्राफट के रूप में 2500 रूपये प्रति वर्ष की फीस के साथ, परिवहन आयुक्त को किया जायेगा ।

(ग) परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र, वाहनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये प्रदूषण जांच तथा लघु समायोजन के लिये, यदि कोई हो, ऐसी फीस प्रभारित करेगा जो परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर विहित की जाये ।

(घ) (i) परिवहन विभाग का कोई प्रवर्तन अधिकारी अपनी अधिकारिता में आने वाले किसी प्रदूषण जांच केन्द्र के कार्य करण की जांच कर सकता है ।

(ii) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई प्रदूषण जांच केन्द्र परिवहन विभाग द्वारा विहित निबन्धनों तथा शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या किसी गैर कानूनी कार्य-कलापों में संलिप्त हो रहा है, तो प्रवर्तन अधिकारी, प्रदूषण जांच केन्द्र की, प्रदूषण जांच के क्रिया-कलाप को रोकने के आदेश पारित कर सकता है तथा परिवहन आयुक्त को मामले की रिपोर्ट करेगा ।

(iii) परिवहन आयुक्त स्वयं अपने विवेक पर अभियुक्त की सुनवाई के बाद अथवा ऐसी जांच करने के बाद

जो वह न्याय संगत तथा उचित समझे, सम्बद्ध प्रदूषण जांच केन्द्र के प्राधिकार को निलम्बित/रद्द कर सकता है, अथवा शास्ति अधिरोपित कर सकता है ।

(ङ) प्रदूषण अनुज्ञप्ति के नवीनकरण के लिये आवेदन, अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम-से-कम 15 दिन अग्रिम प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें असफल रहने पर, प्रति सप्ताह 100 रुपये की दर पर देरी फीस प्रभार्य की जायेगी । उक्त अनुज्ञप्ति के नवीनकरण के लिये फीस 2500 रुपये होगी ।

वीरेन्द्र नाथ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग ।